

अनुमति की शर्तें ।

- (i) जमा भवन/प्लान/खूबखूब के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (सांख्यिक, राजस्वीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम को कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी भी प्रकार के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) संयम निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत पत्रों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल खिडकी केवल आवासीय श्रौचनार्थ

कार्डलय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 866 दिनांक 25/01/2021

प्रार्थना श्रीमती सोनिया व्यास

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 13500/- प्रमा

जरिये रसीद संख्या 9069/663-664

दिनांक 25/01/2021 को जमा करा दी है ।

29/1/2021

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

श्रीमन्त पुरोहित एवं श्रीमती पुष्पा देवी
श्रीमन्त पुरोहित श्रीमती पुष्पा देवी
र-200: 42 क्राम जोधपुर खसरा संख्या
1891/1435 एमल विहार श्रीमन्त

(Handwritten signature)